फर्द अहकाम

हनुमान व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

पत्र: 01/2023

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3, 5 लगायत 13 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड सूचना उपस्थित नही। दिनांक 06.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 3, 5 लगायत 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही दिनांक 15.04.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किये जाने के आदेश दिये गये। एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला, पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.8500 है0 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांकः/एल0आर0/19/359 दिनांक 03.06.2019 की पालना में दिनांक 07.06.2019 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2019 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थाम भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला, पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.8500 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 07.06.2019 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	